

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 5 बां तल, डी. एफ. ब्लॉक, सॉल्टलेक, कोलकाता - 700 064

कार्यालय आदेश संख्या. Admn.I/13-27/Vol.II/NPS to OPS/80

दिनांक: 08.06.2023

डी.ओ.पी.टी, भारत सरकार का.ज्ञा.सं-57/05-2021-P&PW(B) दिनांक-03.03.2023 के शर्तों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (वर्तमान में 2021) के तहत पेंशन योजना में स्विच ओवर (Switch Over) करने हेतु एक बारगी (one time option) विकल्प के चयन के पश्चात इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी, जिनकी नियुक्ति एक ऐसे पद या रिक्ति पर की गयी जो की नई पेंशन योजना, यथा की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पहले भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, के सम्बन्ध में उनकी सरकारी सेवाओं में कार्यग्रहण की तिथि के प्रभाव से उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (वर्तमान में 2021) के अंतर्गत एतद्वारा शामिल किया जा रहा है

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री)	केंद्रीय सरकारी विभाग में प्रारंभिक नियुक्ति कि तिथि एवं बिना सेवा भंग किए अब तक की गई सेवा	प्रारंभिक नियुक्ति का विभाग	प्रारंभिक भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित अधिसूचित करने की तिथि
1.	मनिमा मोक्तान व. लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणी)	28.04.2004	आई.ए & ए.डी	16-22 अगस्त, 2023

उपरोक्त अधिकारी द्वारा उक्त डी.ओ.पी.टी कार्यालय ज्ञापन के शर्तों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में भागीदारी लिए जाने की आवश्यकता है (वर्तमान में)

Adin Shu.
व. उप महालेखाकार/प्रशासन

{प्राधिकार: महालेखाकार का अनुमोदन
दिनांक : 07.06.2023}

प्रति प्रेषित:

- वरिष्ठ प्राशासनिक अधिकारी (सीए-1), कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 (विशेष संदेश वाहक द्वारा)
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 (विशेष संदेश वाहक द्वारा)
- व. उप महालेखाकार/ एएमजी-IV
- व. उप महालेखाकार (एएमजी-I) & प्रशासन
- उप महालेखाकार/ एएमजी-III
- उप महालेखाकार/ एएमजी-II
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ एएमजी-IV
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशा. I
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन II, को श्रीमती मनिमा मोक्तान, व. लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणी) के पक्ष में एनपीएस से सीसीएस (पेंशन) नियमावली के तहत पेंशन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के अनुरोध सहित
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/अभिलेख एवं हिन्दी कक्ष
- सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
- सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को ई मेल के माध्यम से अग्रेषणार्थ
- सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ईडीपी की कार्यालयीन वेबसाइट पर सम्प्रेषण के लिए
- सम्बंधित व्यक्ति
- व्यक्तिगत फाइल

Adin Shu.
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशा. I